संख्या-38 /187/47-का-3-2014-9/80/2011

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह
विशेष कार्याधिकारी
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार
(जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट) उत्तर प्रदेश
सत्य निष्ठा भवन, 15-ए, दयानन्द मार्ग
नई दिल्ली।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 04 मार्च, 2014**

विषय- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वर्ष 2012-13 की रिपोर्ट (राज्य के वित्त) में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित अध्याय-2 वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण तथा अधयाय-3 वित्तीय रिपोर्टिंग में विभाग में विभाग से संबंधित प्रस्तरों पर टिप्पणी के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-प्र0म0ले0/रिपोर्ट(एफ.ए.ए./ए.आर./2012-13/151, दिनांक 10.10.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में आपसे यह कहने का मुझे निदेश हुआ है कि प्रस्तावित आडिट प्रस्तर में (पृष्ठ-10) पर अंकित परिशिष्ट 2.1 में राजस्व दत्त मत क्रमांक-14 पर उल्लिखित अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) और (पृष्ठ-12) पर उल्लिखित राजस्व भारित में क्रमांक-11 पर उल्लिखित अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), (पृष्ठ-26) पर अंकित परिशिष्ट 2.7 में क्रमांक-46 पर उल्लिखित अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (पृष्ठ-34) पर अंकित परिशिष्ट 2.7 में क्रमांक-46 पर उल्लिखित अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी से संबंधित है। उक्त आडिट प्रस्तरों के संबंध में उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी के पत्र संख्या-111-73-लेखा/1760, दिनांक 13.01.2014 द्वारा अकादमी से प्राप्त टिप्पणी की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(एस0पी सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-38 /187(1)/47-का-3-2014-9/80/2011, तददिनांक,

प्रतिलिपि सचिव, वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सि0/रे0) उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-410-दस-10(40)/2013, दिनांक 29.10.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-यथोपरि।

आज्ञा से

(एस0पी सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in